न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :– 85/2019

1. भँवरलाल पिता देवा जी धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूं
2. छगनलाल पिता देवा जी धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूं

वादीगण

बनाम

1. शंभूलाल पिता रूपा जी धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूं
2. श्यमला पिता रूपा जी धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूं
3. कौशल्या पिता रूपा जी धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूं
4. रामेश्वर पिता नारायण जी धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूं
5. शोभालाल पिता नारायण जी धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूं
6. कैलाश पिता नारायण जी धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूं
7. तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगूं जिला चित्तौडगढ

प्रविादीगण

उपस्थित :– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक :– 22.08.2024

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकारसे है कि मौजा कंथारिया प0ह0 रामपुरिया तह0 बेगूं की वर्तमान खतौनी सम्वत 2070–731 खाता संख्या 49 में जरिये नामान्तरण संख्या 643 से दर्ज खातेदार भँवरलाल छगनलाल पिता देवा हिस्सा 1/3 शंभूलाल विमला कौशल्या पिता रूपा हि0 1/3 रामेश्वर शोभालाल कैलाश पिता नारायण हि0 1/3 धाकड सा0 देह खातेदार में निम्नलिखित आराजीयात अंकित स्थित है :–

क.सं.	आराजी संख्या	रकवा हैक्टर में
1–	82	0.1400
2–	83	0.4900
3–	97	0.1700
4–	99	0.4100
5–	103	0.0700
6–	108	0.7000
7–	339	0.2000
8–	340	1.7200
9–	341	0.7200
10–	342	0.0200
11–	346	0.1200
योग :–	कीता– 11	4.7600 हैक्टर

यह कि वादपत्र की कलम सं. 1 में वर्णित आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/3 होकर इसी अनुसार वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में हैं इसी प्रकार सभी प्रतिवादीग्णा भी अपने अपने हिस्सेनुसार आपसी सहमति से विभाजन क र पृथक पृथक मौके पर काबिज हो प्रथक प्रथक काश्त कर रहे है। यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से फसल बोने, काटने एवं पैदावार प्राप्त करते समय मनमुटाव एवं विवाद होता रहता है जिससे वादी ने दिनांक 19.05.2019 को प्रतवादी सं0 1 से 6 को तहसील कार्यालय में चलकर खाता सही करा मौके पर काबिज अनुसार बंटवाडा कराने हेतु कहा तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादीगण को यह वाद वास्ते बंटवाडा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

यह कि वादीण्गा उक्त वर्णित मोजा कंथारिया की आरीयात किता 11 कुल रकबा 4.7600 हैटर भूमि में अपना निहित हक हिस्सा 1/3 का जरिये विभाजन मौके पर काबिज अनुसार एवं अच्छी से अच्छी एवं वुरी से वुरी पृथक करा स्वतंत्र खातदेारी में दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी है एवं इसी हेतु राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार बंटवाडा किये जाने हेतु वादी का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत है। वाद वर्णित आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त है।

वाद कारण दिनांक 19.05.2019 को प्रतिवादी सं0 1 से 6 द्वारा तहसील कार्यालय में चल कर खाता में दर्जट हिस्सानुसार जरिये विभाजन पृथक पृथक कराने की कार्यवाही किये जाने से इंकार किये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। प्रतिवादी संख्या 7 भूमिधारी होकर विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षाकर होने से वाद में पक्षकार बनाये गये है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है :—

(अ) कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम सं0 1 में वर्णित मौजा कंथारिया पटवार हल्का रामपुरिया की आराजीयात कीता—11 कुल रकबा 4.7600 हैक्टर भूमि का वादीगण का हिस्सा 1/3 अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का जरिये विभाजन पृथक करा राजस्व रेकार्ड में स्वत: नाम से दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावें।

(ब) अन्य कोई अनुतोष जो मुनासिब वादीगण को प्रदान कराया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1,4,5,6 व 7 बावजूद सूचना के उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 भी बावजूद सूचना के न्यायालय में हाजिर न होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। पत्रावली में प्रतिवादी सं0 4, 5, 6 की ओर से एक तरफा कार्यवाही निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री बी.के. भट्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादीगण को जवाब दावा प्रस्तुत करने के कई अवसर व अंतिम अवसर एवं कास्ट पर अंतिम दिये गये लेकिन बाद में प्रतिवादीगण 4, 5, 6 के अधिवक्ता व प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उन्हें बार बार आवाज दिलाने पर भी हाजिर न होने से उनके विरूद्ध पुनः मामला एक तरफा कार्यवाही का किया जाने का आदेश दिया गया।

इस प्रकार पत्रावली में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने पर वादीगण की ओर से साक्ष्य वादीगण में साक्ष्य शपथ पत्र वादी छगनलाल पिता देवा जी धाकड का पेश किया जिसमें मुख्य परीक्षण में प्रस्तुत सभी दस्तावेज वादी द्वारा प्रदर्श कराये गये जिरह प्रतिवादी एक तरफा कार्यवाही होने से नहीं की गई है एवं पुनः परीक्षण भी निल रहा है। दावा पत्रावली में वादीगण की साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि0 पर ध्यानपूर्वक सुनी गई अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस वादपत्र अनुसार करते हुए वाद वर्णित कृषि आराजीयात में वादीगण का हिस्सा 1/3 हक से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के अनुसार मीट्स एण्ड बाउंड्स अनुसार कराये जाने का निवेदन किया हैं।

बहस अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा सुन जाने के पश्चात हमारे द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 मौजा कंथारिया पटवार हल्का रामपुरया के खाता संख्या 43 का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित कृषि आराजी संख्या 82, 83, 97, 99, 103, 108, 339, 340, 341, 342, 346 कीता–11 कुल रकबा 4.7600 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री देवा पिता भीमा नानीबाई देवा रूपा शम्भूलाल सागरमल विमला कोशल्या पिता रूपा रामेश्वर शोभालाल कैलाश पिता नारायण धाकड सा.देह अंकित हैं। जमाबंदी में नोट अंकित है कि ना.सं. 577 दिनांक 15.09.2014 से विरासत द्वारा नानीबाई व सागरमल के बजाय शम्भूलाल विमला कौशलया पिता रूपा के नाम की स्वीकृति हुई शेष बदस्तूर। साथ ही नोट अंकित है कि इन्तकाल नं0 643 दिनांक 07.11.2016 से देवा की विरासत से श्री भँवरलाल छगनलाल पिता देवा हिस्सा 1/3 शंभूलाल विमला कोशल्या पिता रूपा हिस्सा 1/3 रामेश्वर शोभालाल कैलाश पिता नारायण हिस्सा 1/3 धाकड सा.देह खातेदार के नाम पूरा खाता दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इस प्रकार वर्णित कृषि आराजीयात में वादीगण का हिस्सा 1/3 दर्ज है प्रदर्श–2 नक्शाट्रेस आराजी का प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत दस्तावेज से वादीगण का हिस्सा 1/3 वाद वर्णित कृषि आराजीयात में होना सिद्व होता है जिससे वादीगण अपने हिस्से को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत विभाजित करा पृथक करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। मौजा कंथारिया पटवार हल्का रामपुरिया की कृषि आराजी संख्या 82, 83, 97, 99, 103, 108, 339, 340, 341, 342, 346 कीता–11 कुल रकबा 4.7600 हैक्टर भूमि में वादीगण श्री भँवरलाल छगनलाल पिता देवा का हिस्सा 1/3 रखते हुए शेष हिस्सा अंकित जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण का रखते हुए उपरोक्त कृषि आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के अनुसार मीट्स एण्ड बाउंड्स अनुसार कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1500/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, तथा तहसीलदार बेगूँ को निर्देशित किया जाता है कि वे कमिश्नर शुल्क की राशि वादीगण से प्राप्त करते हुए कृषि आराजीयात का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य करा विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में भिजवावें। प्राथमिक डिक्री जारी हो तथा प्राथमिक डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

दावा संख्या :– 24/2022

1. भँवरलाल पिता देवा जी धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
2. छगनलाल पिता देवा जी धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. शंभूलाल पिता रूपा जी धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
2. विमला पिता रूपा जी धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
3. कौशल्या पिता रूपा जी धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
4. रामेश्वर पिता नारायण जी धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
5. शोभालाल पिता नारायण जी धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
6. कैलाश पिता नारायण जी धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
7. तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगूँ जिला चितौडगढ

प्रविादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 53 राज0 काश्त0 अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र मंत्री की उपरिथती तथा प्रतिवादीगण की ओर से .... की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 22.08.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। मौजा कंथारिया पटवार हल्का रामपुरिया की कृषि आराजी संख्या 82, 83, 97, 99, 103, 108, 339, 340, 341, 342, 346 कीता–11 कुल रकबा 4.7600 हैक्टर भूमि में वादीगण श्री भँवरलाल छगनलाल पिता देवा का हिस्सा 1/3 रखते हुए शेष हिस्सा अंकित जमावंदी अनुसार प्रतिवादीगण का रखते हुए उपरोक्त कृषि आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के अनुसार मीट्स एण्ड बाउंड्स अनुसार कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1500/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, तथा तहसीलदार बेगूँ को निर्देशित किया जाता है कि वे कमिश्नर शुल्क की राशि वादीगण से प्राप्त करते हुए कृषि आराजीयात का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य करा विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में भिजवावें। प्राथमिक डिक्री जारी हो तथा प्राथमिक डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जावें।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 22.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2024/ 482

दिनांक ::– 26-9-24

प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार, बेगूँ को वास्ते पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता है आप विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में आगामी तारीख पेशी ....से पूर्व पेश करें।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ